यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** के माह 11/2017 से माह 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2019 से 13.03.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आर0 पी0 एस0 यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.11.2017 से 18.11.2017 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से माह 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2017 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा बेस टीचिंग चिकित्सालय में आये जनपद के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

3. (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	0	0	444.30	378.36	65.94	603.80	577.64	26.16
2016-17	0	0	526.79	404.15	122.64	809.80	780.25	29.55
2017-18	0	0	408.22	392.02	16.20	500.37	434.23	66.14
2018-19 (Up to 02/19)	0	0	442.04	362.54	-	579.45	397.37	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2015-16	NHM	10.80	133.59	144.39	106.20	38.19
2016-17		38.19	93.50	131.69	109.40	22.29
2017-18		22.29	129.33	151.62	86.99	64.63
2018-19 (up to 02/2019)		64.63	27.91	92.54	91.91	0.63

(iv) इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ **ब** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा शिक्षा ⟶ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा ⟶ **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी**

(v)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय आदि योजना, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 01 चिकित्सालय से सम्बद्ध शासकीय आवासों में अधिवासित कार्मिकों से रु0 4.17 लाख के विद्युत प्रभार की कम वसूली किये जाने तथा वसूल की गयी धनराशि रु0 14.49 लाख का बैंक खाते में अवरुद्ध रखा जाना।

नियमानुसार किसी संस्थान में स्थित आवासीय परिसर कालोनी के लिए आवंटियों द्वारा अपना अलग अलग घरेलू विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया जाना चाहिए तथा उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत प्रभार का देयक स्वयं उनके द्वारा विद्युत विभाग में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी गढवाल के परिसर में अवस्थित आवासीय कालोनी के विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय तथा मेडिकल कालेज के लिए एक ही विद्युत कनेक्शन संख्या 04881 लिया गया था है तथा उसी कनेक्शन से संस्थान में स्थित आवासीय परिसर के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था। कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से आवंटित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक दोनो संस्थानों द्वारा कुल धनराशि रु0 365.99 लाख के विद्युत प्रभारों का भुगतान किया गया था। जॉच में यह पाया गया कि संस्थान परिसर में निम्न विवरणानुसार 219 आवासीय भवन अवस्थित है तथा उसमें संस्थान के 215 कार्मिकों द्वारा निवास किया जा रहा है;

आवास का प्रकार	आवास की संख्या	आवंटियों की संख्या
Type IV	16	14
SR Hostel	16	14
Type II	20	20
Type I	64	64
Noursing Hostel	103	103
Total	**219**	**215**

प्राचार्य वीर चन्द्र सिंह गढवाली राजकीय आर्युविज्ञान शोध संस्थान के कार्यालय आदेश दिनांक 22.07.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया कि आवासीय भवनों में अधिवासित समस्त अधिकारी/कर्मचारी आवास में 14 दिनों के भीतर विद्युत सबमीटर लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात समस्त अधिकारी/कर्मचारी शासकीय नियमानुसार विद्युत व्यय का भुगतान मासिक मीटर रीडिंग के अनुसार प्रत्येक माह लेखानुभाग में समय से जमा करेंगे ताकि नियमानुसार विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सके तथा

विद्युत की अनावश्यक देनदारियों से बचा जा सके। कार्यालय आदेश दिनांक 27 जनवरी 2017 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विद्युत दर रु0 3.85 प्रति यूनिट के अनुसार विद्युत कर वसूल किया जाएगा।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह जनवरी 2017 तक सभी आवासों के लिए धनराशि **रु0 3.18 लाख** का व्यय कर विद्युत मीटर क्रय कर आवासों में अलग मीटर की स्थापना कर दी गयी थी तथा अधिवासियों द्वारा तद्नुसार विद्युत देयकों को भुगतान किया जा रहा था। माह जनवरी 2017 के पूर्व की अवधि के लिए अधिवासियों से विद्युत प्रभार की वसूली के लिए कार्यालय द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि अधिवासियों से विद्युत प्रभार की धनराशि वसूल की जा रही थी अथवा नहीं। जबकि कार्यालय द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान लगातार शासन से आवंटित बजट से किया जा रहा था। जॉच में यह भी पाया गया कि अधिवासियों से उपयोगित विद्युत यूनिट के सापेक्ष रु0 3.85 प्रति यूनिट की दर से वसूली की जा रही थी जबकि कार्यालय द्वारा रु0 4.05 प्रति यूनिट की दर से विद्युत विभाग को भुगतान किया जा रहा था अर्थात रु0 0.20 प्रति यूनिट कम धनराशि की वसूली की जा रही थी। इसके अतिरिक्त अधिवासियों से दिनांक 25.01.2019 तक उपयोगित विद्युत मीटर यूनिट 460845 के लिए रु0 4.05 प्रति यूनिट की दर से भुगतानित रु0 18.66 लाख की धनराशि के विद्युत प्रभार की देयता के सापेक्ष कुल धनराशि **रु0 4.17 लाख** की वसूली नहीं की गयी थी। माह जनवरी 2017 से वर्तमान तक अधिवासियों से वसूल की गयी धनराशि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में संचालित खाता संख्या 117605000240 में जमा की जा रही थी तथा लेखापरीक्षा तिथि मार्च 2019 के **रु0 14,49,490** की धनराशि जमा थी जिसे वर्तमान तक शासकीय प्राप्ति मद में जमा नहीं किया गया था और न ही इस धनराशि से विद्युत देयकों का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि माह जनवरी 2017 के पूर्व शासकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों से विद्युत देयकों की वसूली नहीं की गयी थी, माह जनवरी 2017 के उपरान्त से मीटर रीडिंग के अनुसार देयता के सापेक्ष रु0 4.17 लाख की धनराशि की वसूली नहीं किये जाने तथा वर्तमान तक अधिवासियों से वसूल की धनराशि रु0 14.49 लाख को बैंक खाते में अवरुद्ध रखे जाने से कार्यालय को विद्युत बिलों पर अनावश्यक रुप से अधिक भुगतान करना पडा। यदि शासकीय आवास में अधिवासियों द्वारा अपना अलग अलग विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से लिया गया होता तो इस प्रकार के शासकीय हानि से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि विद्युत देयकों का संयोजन अलग अलग न होने के कारण एक निश्चित राशि रु0 3.85 प्रति यूनिट की दर से वसूली की जा रही है। अवरुद्ध धनराशि जमा करने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। माह जनवरी 2017 से पूर्व के विद्युत प्रभार की वसूली न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि पूर्व में कार्यरत प्राचार्यो द्वारा विद्युत बिल के लिए एक निश्चित राशि रु0 600 की दर से वसूली की जा रही थी। इकाई का उत्तर लेखपरीक्षा को मान्य

नहीं है क्योंकि माह जनवरी 2017 के पूर्व के विद्युत प्रभारों की वसूली के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। यह भी कहना है कि रु0 3.85 प्रति यूनिट की दर से वसूली किये जाने का भी कोई उचित कारण नहीं था।

अतः चिकित्सालय से सम्बद्ध शासकीय आवासों में अधिवासित कार्मिकों से रु0 4.17 लाख के विद्युत प्रभार की कम वसूली किये जाने तथा वसूल की गयी धनराशि रु0 14.49 लाख का बैंक खाते में अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

<u>प्रस्त 2</u>: <u>2786 लाभार्थियों को रु. 39.00 लाख से वंचित रखा जाना।</u>

जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 16.1 के अनुसार प्रसव के 07 दिन पहले या बाद में किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा तथा लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन आएगा।

बेस चिकित्सालय में जननी सुरक्षा योजना संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बेस चिकित्सालय द्वारा सितंबर 2017 से लाभार्थियों को चेक द्वारा भुगतान बंद कर दिया गया था, तथा चेक़ से भुगतान के स्थान पर सीधे लाभार्थियों को उनके खाते में धनराशि दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी ।
संप्रेक्षा द्वारा लेखापरीक्षा अवधि से संबन्धित प्रकरणो के संबंध में जांच में पाया गया कि सितंबर 2017 से जनवरी 2019 तक बेस चिकित्सालय में कुल 4778 प्रसव हुए थे। जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा 1992 लाभार्थियों क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि रु. 1400 प्रति लाभार्थी की दर से रु. 2788800 का भुगतान किया गया तथा अवशेष 2786 लाभार्थियों को रु. 3900400 का भुगतान नही किया गया, यहाँ ,तक कि भुगतान किए गये 1992 लाभार्थियों को भी भुगतान सात माह पश्चात विलम्ब से किया गया जो कि योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत था।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि बजट कम होने के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा सका है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बेस चिकित्सालय ने लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से कोई मांग नहीं की है। अतः 2786 लाभार्थियों को रु. 39.00 लाख से वंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol V के प्रावधानों के अनुसार शासकीय कर्मचारी द्वारा उसकी शासकीय क्षमताओं के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में फॉर्म संख्या 2 में एक साधारण रोकड़ पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमे कोषालय और बैंक से निकाले गए प्रत्येक धन निकासी तथा उसके वितरण की प्रविष्टि की जाएगी।

बेस चिकित्सालय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबन्धित रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में कहीं भी प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष की प्रविष्टि नहीं है, तथा दिसंबर 2018 के पश्चात कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई है साथ ही रोकड़ बही में प्रविष्टियों का वर्णन जैसे चेक क्रमांक, तथा भुगतान किस मद में किया जा रहा है की प्रविष्टि भी नहीं है। रोकड़ बही में कहीं भी कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे कि की गई प्रविष्टियों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ कर दिये जाने को कहा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2–निष्प्रोज्य पड़े वाहनों के निस्तारण न होने से रू. 16.47 लाख के राजस्व की हानि।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के प्रस्तर 189 एवं 190 के प्रावधानों के अनुसार जैसे ही यह तथ्य प्रकाश में आये कि स्टोर की कोई सामग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फार्म 18 के प्रारुप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा तथा निलामी से प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाएगा।

कार्यालय प्राचार्य हे0 न0 ब0 राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय श्रीनगर, जनपद पौड़ी के वाहन सम्बन्धित अभिलेखों के जाचॅ में पाया गया कि चिकित्सालय में विगत 01 से लेकर 14 वर्षो से 04 वाहन निष्प्रेज्य हैं। विवरण निम्न हैः–

क स	वाहन का प्रकार	निष्प्रेज्य का वष/आफ रोड	वहन का पंजीकरण सख्या	वाहन की कीमत
01	टैम्पों टैवलर	2008	यू0ए07 डी 2060	मु0चि0अ0पौड़ी से प्राप्त
02	टाटा स्पेसियों	2018	यू0ए012ए 0650	328826
03	आयसर	2004	यू0ए012ए 4169	663806
04	टाटा विंगर एम्बुलन्स	2018	यू0ए012ए 0062	654640
योग				1647272

नियमानुसार निष्प्रयोज्य वाहनों का निस्तारण समय–समय पर किया जाना चाहिऐ था। ऐसा न करने से वाहनों के मुल्य में निरन्तर हास् से इनकार नही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि निष्प्रयोज्य पड़े वाहनों की नीलामी यथाशीध्र की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि वाहन विगत 01 से लेकर 14 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़े हुई है जिसका निरन्तर ह्रास हो रहा है। यदि वाहनों का समयनुसार निस्तारण हो जाता तो अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

अतः निष्प्रोज्य पड़े वाहनों के निस्तारण न होने से रू 16.47 लाख राजस्व की हानि होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
55	2014–15	01	01, 02, 03	शून्य
139	2017–18	01	01, 02, 03, 04, 05	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
55 / 2014–15	IIA-01 IIB-01,02,03 STAN-Nil	लेखापरीक्षा के दौरान लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई द्वारा वर्ष 2014–15 के लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी। वर्ष 2017–18 के लम्बित प्रस्तरों के सम्बन्ध में प्रदान की गयी अनुपालन आख्या के आधार पर भाग दो (ब) के 03 प्रस्तर एवं STAN के एक प्रस्तर को निस्तारित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।		
139 / 2017–18	IIA-01 IIB-01,02,03,04,05 STAN-01			

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 सी0 एम0 एस0 रावत	प्राचार्य	28.05.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र